"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] रायपुर, मंगलवार दिनांक 19 फरवरी 2013—माघ 30, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्रमांक एफ-64/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/161.—दिनांक 19 फरवरी 2013 को नगर पंचायत बरमकेला, जिला-रायगढ़, छ.ग. के 2 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-64/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. श्री दीनानाथ नायक, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, बरमकेला, जिला-रायगढ़, छ.ग.

2. श्री रोहित नायक, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, बरमकेला, जिला-रायगढ़, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 19 फरवरी 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 9 मार्च 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत बरमकेला के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 7 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 9 मार्च 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत बरमकेला के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी श्री दीनानाथ नायक एवं श्री रोहित नायक द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी श्री दीनानाथ नायक को दिनांक 22 मार्च 2010 को तथा श्री रोहित नायक को दिनांक 22 जून 2011 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी श्री दीनानाथ नायक को दिनांक 5 अप्रैल 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी श्री रोहित नायक को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं होने के कारण उन्हें पुन: दिनांक 18 जुलाई 2012 को कारण बताओ सूचना जारी की गई जो दिनांक 22 अगस्त 2012 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी श्री दीनानाथ नायक को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी श्री रोहित नायक ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में आयोग को प्रस्तुत अपने जवाब एवं शपथपत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 में उल्लेख किया है कि उनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ थे अतः उनके द्वारा स्वस्थ होने पर दिनांक 2 फरवरी 2010 को 6 दिनों के विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया गया है. उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने में हुआ विलंब सद्भाविक है जिसके लिए क्षमा चाहते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का निवेदन किया गया है. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि श्री रोहित नायक द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 2 फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है. निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुती में 6 दिनों का विलंब का कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया गया है. उनके द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्यवाही की अनुशंसा की है. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 5 दिसम्बर 2012 को आयोग में आहूत किया गया. जिसमें अभ्यर्थी का शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. अपने जवाब एवं बयान की पुष्टि में अभ्यर्थी ने स्वास्थ्य खराब होने के संबंध में डॉ. जी. साहू द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दवा के प्रिस्क्रिप्शन की प्रति प्रस्तुत की. चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी को दिनांक 25 जनवरी 2010 से 2 फरवरी 2010 तक बेड रेस्ट लेने का उल्लेख है.

5. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्री दीनानाथ नायक एवं श्री रोहित नायक ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था, अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं शपथपूर्वक बयान तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत बरमकेला के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी श्री दीनानाथ नायक ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अन्य अभ्यर्थी श्री रोहित नायक ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में आयोग को प्रस्तुत अपने जवाब एवं शपथपत्र में उल्लेख किया है कि स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ थे तथा स्वस्थ होने पर उनके द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2010 को 6 दिनों के विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया गया है. अपने जवाब एवं शपथपूर्वक बयान की पुष्टि में अभ्यर्थी ने चिकित्सक का प्रमाण पत्र एवं प्रिस्क्रिप्शन की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें चिकित्सक द्वारा अभ्यर्थी को बेड-रेस्ट की सलाह दी गई थी. चूंकि अभ्यर्थी स्वास्थ्य खराब होने की अवधि में चलने फिरने में असमर्थ था, अत: अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुती में हुए विलंब के कारण को विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुती का अच्छा एवं औचित्यपूर्ण कारण मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है. उपरोक्त विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्री दीनानाथ नायक प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहा है तथा वह इस असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखता है एवं यद्यपि अभ्यर्थी श्री रोहित नायक द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत किया गया है फिर भी इस विलंब हेतु अच्छा एवं औचित्यपूर्ण कारण विद्यमान था. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी दीनानाथ नायक को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है तथा अभ्यर्थी श्री रोहित नायक द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुती में हुए विलम्ब के लिए प्रस्तुत कारण उपयुक्त एवं न्यायोचित्य होने से उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 19 फरवरी 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.